कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग के पत्रांक– 286 दिनांक 27.05.2026 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली के ज्ञापांक– 1359 दिनांक 27.06.2026 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग,वैशाली में वित्तीय अनियमितता एवं संदिग्ध क्रय–अभिश्रवों के मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदनों एवं गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय के निरीक्षण एवं अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री अखिलेश कुमार, विशिष्ट शिक्षक, गाँधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग (प्रभारी प्रधानाध्यापक–सह–संचालक, KGBV) एवं श्रीमती रंजू कुमारी (प्रभारी वार्डेन) द्वारा वित्तीय नियमों की घोर अवहेलना की गई है। वेंडर के साथ मिलीभगत कर बाजार मूल्य से अधिक दर पर सामग्रियों का क्रय करने, विपत्र संख्या के सीरियल नंबर में हेराफेरी करने, बिना क्रय समिति की बैठक के फर्जी तरीके से राशि की निकासी करने, स्टॉक पंजी में हेराफेरी करने तथा प्रशासनिक कार्यो में घोर लापरवाही बरतने के आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए हैं, जो गंभीर वित्तीय कदाचार और पदीय दायित्वों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः श्री अखिलेश कुमार, विशिष्ट शिक्षक, गाँधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग,वैशाली को बिहार विशिष्ट शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री अखिलेश कुमार के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

श्री अखिलेश कुमार का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी, वैशाली निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

13.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांकः–1463 हाजीपुर दिनांकः–13/07/26

प्रतिलिपिः–वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-7-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– श्री अखिलेश कुमार,
(ii). पद नाम– विशिष्ट शिक्षक
(iii). जन्म तिथि–
(iv). सेवानिवृति तिथि–
(v). सेवा संवर्ग का नाम– विशिष्ट शिक्षक
(vi). पद समूह एवं विभाग– विशिष्ट शिक्षक / शिक्षा विभाग
(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–
(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026 / गाँधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग,वैशाली।

भाग द्वितीय

13-2-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
13/2/26

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग के पत्रांक– 286 दिनांक 27.05.2026 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली के ज्ञापांक– 1359 दिनांक 27.06.2026 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग,वैशाली में वित्तीय अनियमितता एवं संदिग्ध क्रय–अभिश्रवों के मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्रतिवेदनों एवं गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय के निरीक्षण एवं अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री अखिलेश कुमार, विशिष्ट शिक्षक, गाँधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग (प्रभारी प्रधानाध्यापक–सह–संचालक, KGBV) एवं श्रीमती रंजू कुमारी (प्रभारी वार्डेन) द्वारा वित्तीय नियमों की घोर अवहेलना की गई है। वेंडर के साथ मिलीभगत कर बाजार मूल्य से अधिक दर पर सामग्रियों का क्रय करने, विपत्र संख्या के सीरियल नंबर में हेराफेरी करने, बिना क्रय समिति की बैठक के फर्जी तरीके से राशि की निकासी करने, स्टॉक पंजी में हेराफेरी करने तथा प्रशासनिक कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए हैं।

(ii). वित्तीय नियमावली के अनुसार बिल हमेशा बढ़ते क्रम में होने चाहिए। एक ही तिथि में पिछले और अगले दोनों क्रमों के बिल जारी होना सीधे तौर पर फर्जी बिलिंग की ओर इशारा करता है। प्रधानाध्यापक और वार्डेन का तर्क पूरी तरह लचर और जिम्मेदारी से भागने वाला है। वेंडर रोहन एंटरप्राइजेस की सहभागिता परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि बिलों में HSN कोड और सामग्री का पूर्ण विवरण दर्ज करना संबंधित वेंडर का कार्य था। इससे प्रतीत होता है कि वेंडर के द्वारा ठसंदा बिल वाउचर कस्तूरबा को दिया जाता है एवं कस्तूरबा के संचालक तथा वार्डेन के द्वारा अपने हिसाब से सामग्री भरकर राशि की अवैध निकासी की जाती है। अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की गई है वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, स्वेच्छाचारिता तथा प्रशासनिक अनुशासन के गंभीर उल्लंघन करना, सरकारी कर्मी के आचारण के विपरीत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना एव अपने कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता।

भाग तृतीय

13-2-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
13/2/26

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग के पत्रांक– 286 दिनांक 27.05.2026 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली के ज्ञापांक– 1359 दिनांक 27.06.2026 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग,वैशाली में वित्तीय अनियमितता एवं संदिग्ध क्रय–अभिश्रवों के मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्रतिवेदनों एवं गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय के निरीक्षण एवं अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री अखिलेश कुमार, विशिष्ट शिक्षक, गाँधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग (प्रभारी प्रधानाध्यापक–सह–संचालक, KGBV) एवं श्रीमती रंजू कुमारी (प्रभारी वार्डेन) द्वारा वित्तीय नियमों की घोर अवहेलना की गई है। वेंडर के साथ मिलीभगत कर बाजार मूल्य से अधिक दर पर सामग्रियों का क्रय करने, विपत्र संख्या के सीरियल नंबर में हेराफेरी करने, बिना क्रय समिति की बैठक के फर्जी तरीके से राशि की निकासी करने, स्टॉक पंजी में हेराफेरी करने तथा प्रशासनिक कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए हैं।

(ii). वित्तीय नियमावली के अनुसार बिल हमेशा बढ़ते क्रम में होने चाहिए। एक ही तिथि में पिछले और अगले दोनों क्रमों के बिल जारी होना सीधे तौर पर फर्जी बिलिंग की ओर इशारा करता है। प्रधानाध्यापक और वार्डेन का तर्क पूरी तरह लचर और जिम्मेदारी से भागने वाला है। वेंडर रोहन एंटरप्राइजेस की सहभागिता परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि बिलों में HSN कोड और सामग्री का पूर्ण विवरण दर्ज करना संबंधित वेंडर का कार्य था। इससे प्रतीत होता है कि वेंडर के द्वारा ठसंदा बिल वाउचर कस्तूरबा को दिया जाता है एवं कस्तूरबा के संचालक तथा वार्डन के द्वारा अपने हिसाब से सामग्री भरकर राशि की अवैध निकासी की जाती है। अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की गई है वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

(iii). सरकारी कर्मी के आचारण के विपरीत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना एव अपने कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता।

13.7.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
10/7/26

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

क्रमं स0	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1.	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग के पत्रांक– 286 दिनांक 27.05.2026 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली के ज्ञापांक– 1359 दिनांक 27.06.2026।	

13.7.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
10/7/26